कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला कलेक्टर)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान जिला–टोंक

Email: egsmm.tonk@gmail.com

Tel.No.: 01432-247117, 01432-247157 Fax No.: 01432-247147

क्रमांकः एफ13 ( ) MGNREGS / स्था. / ले.सहा.–जेटीए भर्ती / 2017–18 / 1337 दिनांक :– 16/02/18

"कार्यालय आदेश"

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (अनु–3 महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक एफ 11 (8) ग्रावि / नरेगा / पद सृजन / 2016 / 93342 जयपुर दिनांक 25 मई, 2017 की अनुपालना एवं कार्यालय के पत्रांक एफ 13 ( ) MGNREGS / स्था. / जेटीए–ले.सहा. भर्ती / 2017–18 / 2859 दिनांक 03.11.2017 में जारी विज्ञप्ति अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का गठित कमेटी द्वारा परीक्षणोपरांत वरीयता रोस्टर अनुसार मेरिट सूची के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) टोंक में उपस्थित होने तथा इनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन के पश्चात् कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद का कार्य दिनांक 28.02.2018 तक सम्पादन करने हेतु संविदा अनुबंध पर लगाया जाता है। संबंधित कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 22.02.2018 तक जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) टोंक में अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण करें।

अनुबन्ध राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार प्रभावी रहेगा एंव सक्षम अनुमति से आपसी सहमति के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए 500 / – रू. का नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प, दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) स्वयं अभ्यर्थी द्वारा लाना होगा। अनुबंध की शर्तें राज्य सरकार के दिशा–निर्देशानुसार कार्यालय द्वारा अवगत करायी जायेगी। उक्त सेवाएं पूर्णरूपेण अनुबंध पर आधारित रहेगी एवं नियमित सेवा हेतु सक्षम नहीं माने जावेंगे और न ही नियमितीकरण हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

चयनित कार्मिकों को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 13000 / – रू. प्रतिमाह जिसमें रू. 3000 / – ग्रामीण भत्ता एवं रू. 2000 / – यात्रा भत्ता शामिल है, देय होगा। यात्रा भत्ता रू. 2000 / – नियंत्रक अधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्र भ्रमण करने पर ही देय होगा। क्षेत्र भ्रमण हेतु स्वयं के वाहन का उपयोग किया जायेगा।

कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर किसी भी अभ्यर्थी की सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी। अनुबंध पर आधारित कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की सेवाएं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यथा प्रभावी रहेगी।

क्र. स.	नाम	पिता का नाम	पता	श्रेणी	विवि / संस्था का नाम	चयन श्रेणी
1	मोनिया मीना	दुर्गालाल मीना	ग्राम गांवडीकला, तह. गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर	ST	राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय कोटा	UR(F)
2	अंकिता डी मीना	घनफूल मीना	वार्ड 47 जौडली तह. सपोटरा जिला करौली	ST	राजस्थान तकनीकी विश्वविधालय कोटा	UR(F)
3	सरिता सैनी	सुरेश चन्द्र सैनी	वार्ड नं. 24 तह. नीमकाथाना जिला सीकर	OBC	प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान जौधपुर	OBC(F)
4	शिवराज	मंगलाराम	ग्राम कालेटडा तह. परबतसर जिला नागौर	SC	प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान जौधपुर	SC
5	रमन कुमार मीणा	बनवारी लाल मीणा	ग्राम काकरेट, पोस्ट रहरई तह0 सरमथुरा धौलपुर	ST	प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान जौधपुर	ST

(सुबेसिंह यादव)
जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)
सह जिला कलेक्टर, टोंक

क्रमांकः एफ13 ( ) MGNREGS / स्था. / ले.सहा.–जेटीए भर्ती / 2017–18 / 1338–1348 दिनांक :– 16/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर
2. श्रीमान आयुक्त ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) सह जिला कलेक्टर, टोंक।
4. अधिशाषी अभियन्ता / लेखाधिकारी (ईजीएस) जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), टोंक को निर्देशित किया जाता है कि अनुबंध की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
5. अभ्यर्थी श्री / श्रीमती / सुश्री.. को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि तक अनुबंध संबंधित कार्यवाही पूर्ण करावें, अन्यथा आपकी अभ्यर्थिता / चयन निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
6. नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट / कार्यालय हाजा / जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), टोंक।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम)
सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, टोंक